



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231427
CG-DL-E-27112021-231427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 603]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-203/2017-डीडी/213/2017-डीसी/1017/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. श्रीकांत शंकर निरोनी (सदस्यता सं. 215563), दुकान सं. 1-655/जी-14, नई टिम्मापुरी काम्प्लेक्स, एस वी पी चौक एमएसके मिल रोड, कलबुर्गी- 585102 (कर्नाटक) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. श्रीकांत शंकर निरोनी (सदस्यता सं. 215563) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। तथापि, अनुशासन समिति द्वारा दिए गए दंड को अपील संख्या 30/आईसीएआई/2020 द्वारा अपीलिय प्राधिकरण ने अपने 11 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित करके नाम हटाए जाने की अवधि को 02 (दो) वर्ष से घटाकर 03 (तीन) माह कर दिया है इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. श्रीकांत शंकर निरोनी (सदस्यता सं. 215563) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./467/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-203/2017-DD/213/2017-DC/1017/2019.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Shrikant Shankar Nironi (Membership No. 215563), Shop No. 1-655/G-14, New Timmapuri Complex, S V P Chowk MSK Mill Road, KALABURAGI- 585102 (Karnataka)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Shrikant Shankar Nironi (Membership No. 215563)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand) only. However, the punishment awarded by the Disciplinary Committee has been modified by the Appellate Authority vide its order dated 11th February, 2021 in Appeal no. 30/ICAI/2020 by reducing the period of removal from two year to three months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Shrikant Shankar Nironi (Membership No. 215563), shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) months with effect from 26th November, 2021.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./467/2021-22]